:: कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, महासमुन्द ::
E-mail – msdrangemsd @ gmail.com ☎ 07723-222581

क्रमांक / 1220 महासमुन्द, दिनांक 23/04 / 2016

प्रति ,

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल
महासमुन्द (छ.ग.)

विषय –: परसवानी – महासमुन्द रेल्वे कर्षण लाइन का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्
संदर्भ –: व.मं.अ. कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 641 दिनांक 16.02.16

———000———

निवेदन है कि 132 के.बी. परसवानी–महासमुन्द रेल्वे कर्षण लाईन जिसकी लंबाई 11.287 किमी. प्रस्तावित है, के अंतर्गत ग्राम चोरभट्ठी वनभूमि कक्ष क्रमांक 67 में लगभग 877.89 मीटर वन क्षेत्र में लाईन का निर्माण किया जाना है जिस हेतु 2.37 हे. आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यापवर्तन की आवश्यकता होगी, तद्संबंध में स्थल जांच कर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। तद्संबंध में लेख है कि जिस क्षेत्र में परसवानी–महासमुन्द रेल्वे कर्षण लाईन प्रस्तावित है वह क्षेत्र वृक्ष विहीन है। आरक्षित वन क्षेत्र से लगा हुआ राजस्व क्षेत्र है। अतः 132 के.बी. परसवानी–महासमुन्द रेल्वे कर्षण लाईन जिसकी लंबाई 11.287 किमी. प्रस्तावित है, के अंतर्गत ग्राम चोरभट्ठी वनभूमि कक्ष क्रमांक 67 में लगभग 877.89 मीटर वन क्षेत्र में लाईन का निर्माण होने पर वन विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। परिसर रक्षी महासमुन्द, संबंधित क्षेत्र के पटवारी, राजस्व निरीक्षक महासमुन्द एवं परिक्षेत्र सहायक महासमुन्द द्वारा किये गये संयुक्त स्थल पंचनामा की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन परिक्षेत्र अधिकारी
महासमुन्द

F:\OFFICE-FILES\LEEZ\Leez.doc

स्थल पंचनामा

हम निचे लिखे पंचगण इस बात की तसदीक करते है कि आज दिनांक 6/4/2016 को श्री ईश्वर लाल चन्द्राकर परियोजना सहायक महासमुंद एवं राजस्व पटवारी पटवारी ह.नं 25 श्री कुमारी बसंती नायक के साथ में ग्राम चोरभट्ठी में आये। ग्राम चोरभट्ठी के निकट से परसवानी-महासमुंद रेल्वे कम्पनी लाइन जिसकी लम्बाई 877.89 मीटर वन क्षेत्र में लाइन का निर्माण करना है। वन क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 67 रकबा 2.37 हे क्षेत्र में गैर वानकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी। आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 67 में लाइन वाले क्षेत्र वृक्ष विहीन है उसमे किसी भी प्रकार का वन नही है। आरक्षित वन क्षेत्र में लगा हुआ राजस्व का भूमि है अतः उक्त क्षेत्र का हम पंचो के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। यही हम निचे लिखे पंचगणों का सही-सही पंचनामा है पंचनामा पढ़ा सुना कर अपना हस्ताक्षर किया। राजस्व के वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल) नही है। जिसकी लम्बाई 877.89 X 27 मीटर व्यपवर्तन की आवश्यकता है।

1. रामखिलावन पिता लतेल सोनवानी सा० चोरभट्ठी उम्र 52 वर्ष — रामखिलावन
2. आशाराम पिता मिलकु गोंड सा. चोरभट्ठी उम्र 58 वर्ष — आशाराम
3. गैंदुराम पिता बुधाराम साहू सा. चोरभट्ठी उम्र 50 वर्ष — गैंदु
4. सदाराम पिता मैरा सोनवानी सा० चोरभट्ठी उम्र 58 वर्ष — सदाराम
5. संजय पिता गणेश साहू सा चोरभट्ठी उम्र 25 वर्ष — संजय

पटवारी
[signature]
06/04/16

उपरोक्त उपर लिखे
पंचनामा मेरे समक्ष
तैयार किया गया

[signature]
6.4.2016

[signature]
पटवारी
6/4/2016

[signature]
SV/AE/Cycle
EGHT-C
CSPTCL Raipur.

[signature]
परिक्षेत्र

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत....सोरिद..... विकासखण्ड.....महासमुंद.....

जिला–.....महासमुंद..... (छ.ग.)

–: अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत.....सोरिद (पोरभट्टी)

के.....आरक्षित..... वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक.....67.....प्रस्तावित रकबा....2.37.....हे0.. .....आरक्षित..... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नही है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक....11/01/2016

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत सोरिद
वि.खं.व जि.महासमुन्द